प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 19.02.2026

थाना – पट्टी, जनपद – प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा मोबाइल झपटमारी की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जिसमें विवेचना के दौरान धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.12.2025 को प्रार्थी निवासी ग्राम उमरडीहा, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई थी कि दिनांक 08.12.2025 को उनके पुत्र से ग्राम कुंदनपुर के आगे नहर पुलिया के पास दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रेडमी मोबाइल फोन छीन लिया गया। उक्त संबंध में थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 349/25 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में थाना पट्टी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 19.02.2026 को उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह आरक्षी अभिषेक यादव एवं आरक्षी पंकज चौहान द्वारा क्षेत्र में देखभाल, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की तलाश एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर केसरी नंदन मंदिर, भरोखन तालाब पट्टी के पास घेराबंदी कर एक मोटरसाइकिल पर खड़े दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम 1. चन्द्रसेन सिंह उर्फ हैप्पी सिंह पुत्र सूर्य नारायण सिंह (उम्र लगभग 32 वर्ष) एवं 2. उत्तम सिंह पुत्र शंभूनाथ सिंह (उम्र लगभग 19 वर्ष), निवासीगण बनकट बरथी थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर बताया।

तलाशी के दौरान अभियुक्त चन्द्रसेन सिंह के कब्जे से एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल (Realme, लाल रंग) बरामद हुआ, जिसे अभियुक्तों ने दिनांक 08.12.2025 को कुंदनपुर नहर पुलिया के पास एक युवक से झपट्टा मारकर छीनना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संख्या UK 04 AN 8303 (Hero Splendor, काला रंग) को भी बरामद कर धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया। जिसमें विवेचना के दौरान धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. चन्द्रसेन सिंह उर्फ हैप्पी सिंह पुत्र सूर्य नारायण सिंह (उम्र लगभग 32 वर्ष) निवासी बनकट बरथी थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर।

2. उत्तम सिंह पुत्र शंभूनाथ सिंह (उम्र लगभग 19 वर्ष), निवासी बनकट बरथी थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर।

बरामदगी-

लूटा गया मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह आरक्षी अभिषेक यादव एवं आरक्षी पंकज चौहान थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा "अपहरण व आत्महत्या के लिए उकसाना" के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अभिषेक उर्फ छोटू गिरफ्तार- व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल बरामद।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मिलिट्री ग्राउण्ड मानिकपुर के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06-09-2025 को वादिनी निवासी ग्राम भोला का पुरवा, थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार वादिनी की पुत्री सिलाई सीखने के लिए मानिकपुर जाने की बात कहकर घर से निकली, परन्तु वापस नहीं लौटी। जानकारी मिली कि वह अभिषेक उर्फ छोटू के साथ गई थी और गंगा पुल पर घटना के दौरान अभिषेक के नदी में कूदने के बाद से मृतका का कोई पता नहीं चल रहा है। इस संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 191/2026 धारा 87/108 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह का0 दर्वेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 191/2026 धारा- 87/108 बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त अभिषेक उर्फ छोटू पुत्र रामकृपाल निवासी जमुआ उर्फ भवानी पोस्ट अटरामपुर थाना नबाबगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 22 वर्ष को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत मिलिट्री ग्राउण्ड मानिकपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। अब तक की विवेचना के क्रम मुकदमा उपरोक्त मे धारा 108 बी0एन0एस की बढोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि मैं मृतका (निवासी भोला का पुरवा) के साथ प्रेम करता था। मृतका परिजनों द्वारा शादी से इनकार करने पर, मैंने मृतका को आत्मघाती कदम उठाने के लिए राजी किया था। दिनांक 06.09.2025 को मैं मृतका को लेहदरी पुल पर ले गया, जहाँ मेरे बार-बार उकसाने पर मृतका ने गंगा नदी में छलांग लगा दी, जिसके पीछे मैं भी कूद गया। तेज बहाव के कारण मृतका डूब गई, जबकि मैं लकड़ी के एक टुकड़े के सहारे तैरता रहा और मल्लाहों द्वारा बचा लिया गया। आज मैं आवश्यक काम से मानिकपुर आया था कि आप लोगो ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभिषेक उर्फ छोटू पुत्र रामकृपाल निवासी जमुआ उर्फ भवानी पोस्ट अटरामपुर थाना नबाबगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी-

01 अदद मोबाइल बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह का0 दर्वेश कुमार थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.02.2026 को थाना लालगंज पुलिस एवं आबकारी टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए ग्राम पूरे रामन मेंढावा (थाना लालगंज) क्षेत्र में दबिश दी गई। कार्यवाही के दौरान 04 अदद प्लास्टिक की पिपिया में कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई।

उक्त कार्यवाही वरि० उपनिरीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह मय पुलिस टीम तथा प्रभारी निरीक्षक आबकारी श्री अशोक कुमार मय आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से संपादित की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के वरि० उ0नि0 अरुण कुमार सिंह मय हमराह म0उ0नि0 दीपिका सिंह, का0 राहुल यादव, का० नीरज कुमार, चालक हे0 का0 सुभाष कुमार व आबकारी टीम प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार मय हमराह आब0 का बृजेश वर्मा, आब का0 मो0 साकीब, आब0 का0 धीरेन्द्र कुमार, आब0 म0का0 सुभदा गोस्वामी चालक संतोष यादव द्वारा देखभाल

क्षेत्र/ के दौरान, बह्द ग्राम पूरे रामन मेंढावा से उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण 1. रेखा पत्नी करन, 2. रीता पत्नी अभिलाष, 3. अंतिमा पत्नी राजेश, 4. परवीना पत्नी नबावे, समस्त निवासी ग्राम पूरे रामन मेंढावा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण से 40 लीटर देशी नाजायज शराब बरामदगी के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0स0 54/2026 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस टीम-

वरि० उ0नि0 अरुण कुमार सिंह मय हमराह म0उ0नि0 दीपिका सिंह, का0 राहुल यादव, का० नीरज कुमार, चालक हे0 का0 सुभाष कुमार

आबकारी टीम प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार मय हमराह आब0 का बृजेश वर्मा, आब का0 मो0 साकीब, आब0 का0 धीरेन्द्र कुमार, आब0 म0का0 सुभदा गोस्वामी चालक संतोष यादव

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री/परिवहन पर प्रभावी रोकथाम हेतु सतत अभियान संचालित किया जा रहा है।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 वरूण कुमार सिंह मय हमराह हे का० विरेन्द्र यादव, का० किशन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन तलाश वांछित, वारंटी / प्रार्थना पत्र की जांच के दौरान मु0अ0सं0 95/2012 धारा 304,323,336 भादवि थाना को0 नगर से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त संतोष सिंह उर्फ स्वतंत्र सिंह पुत्र वेदनाथ सिंह निवासी राजगढ़ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 58 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. संतोष सिंह उर्फ स्वतंत्र सिंह पुत्र वेदनाथ सिंह निवासी राजगढ़ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 58 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 वरूण कुमार सिंह मय हमराह हे का० विरेन्द्र यादव, का० किशन यादव थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।